



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-22122020-223848

CG-DL-W-22122020-223848

प्राधिकार स प्रकाशत

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 29] नई दिल्ली, दिसम्बर 13—दिसम्बर 19, 2020, शनिवार/अग्रहायण 22— अग्रहायण 28, 1942

No. 29] NEW DELHI, DECEMBER 13—DECEMBER 19, 2020, SATURDAY/AGRAHAYANA 22—AGRAHAYANA 28, 1942

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)

PART II—Section 3—Sub-section (iii)

केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए साधारण आदेश और अधिसूचनाएं
Orders and Notifications issued by the Central Authorities (Other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 2020

आ. अ. 121.— यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्य प्रदेश राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 06.10.2018 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11.12.2018 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः, संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 190-बड़वानी (अ.ज.जा) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम 11.12.2018 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10.01.2019 थी।

और यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मध्य प्रदेश के दिनांक 29.01.2019 के पत्र सं.10-क/चार/निर्वा.व्यय-लेखा/42-बड़वानी/2019/1265 द्वारा अग्रेषित जिला निर्वाचन अधिकारी, बड़वानी जिला, मध्य प्रदेश द्वारा दिनांक 21.01.2019 को प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार श्री चन्दन, मध्य प्रदेश के 190-बड़वानी (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले आम आदमी पार्टी के अभ्यर्थी, अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बड़वानी जिला, मध्य प्रदेश की रिपोर्ट दिनांक 25.01.2020 के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री चन्दन को कारण बताओ नोटिस दिनांक 27.02.2020 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 27.02.2020 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री चन्दन को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर आयोग में लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, पूर्ण निर्वाचन व्यय का लेखा संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री चन्दन द्वारा 06.03.2020 को प्राप्त किया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, बड़वानी द्वारा दिनांक 21.05.2020 के पत्र संख्या 331/वि.स. निर्वाचन/व्यय-लेखा /2020 द्वारा आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बड़वानी द्वारा अपने दिनांक 21.05.2020 के पत्र सं. 331/वि.स. निर्वाचन/व्यय- लेखा /2020 के तहत प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री चन्दन ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही मूल वाउचरों आदि के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित अपने निर्वाचन व्यय के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त असफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री चन्दन, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास इस असफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं है;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

- (क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- (ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा, मध्य प्रदेश राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 के 190-बड़वानी(अ.ज.जा) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले आम आदमी पार्टी के अभ्यर्थी, श्री चन्दन , निवासी 26, ग्राम पिछोड़ी, पोस्ट सोंदुल, तह0 बड़वानी, जिला बड़वानी, मध्य प्रदेश को संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान

परिषद् के लिए सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरहित घोषित करता है।

[सं.76/म.प.-वि.स./2018/पश्चिम-I]

आदेश से,

मधुसूदन गुप्ता, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 3rd December, 2020

O. N. 121.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Madhya Pradesh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 06.10.2018. As per the schedule, the Date of Counting of votes was 11.12.2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of 190-Barwani (ST) Assembly Constituency was declared by the Returning Officer concerned on 11.12.2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10.01.2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 21.01.2019 submitted by the District Election Officer, Barwani District, Madhya Pradesh and forwarded by Chief Electoral Officer, Madhya Pradesh vide letter No.10-A/ Four/ Elec.Expenditure Account/42-Barwani /2019/1265 dated 29.01.2019, Shri Chandan, Aam Admi Party contesting candidate from 190-Barwani (ST) Assembly Constituency of Madhya Pradesh, failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the report dated 25.01.2020 of the District Election Officer, Barwani District, Madhya Pradesh, a Show Cause notice dated 27.02.2020 was issued by the Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 to Shri Chandan for non submission of accounts of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule(6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice dated 27.02.2020, Shri Chandan was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his complete accounts of election expenses to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by Shri Chandan on 06.03.2020. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, Barwani vide his letter No. 331/L.A. Election/Expenditure-Account/2020/1566 dated 21.05.2020.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, Barwani vide his letter No. 331/L.A. Election/Expenditure-Account/2020 dated 21.05.2020 it has been stated that Shri Chandan has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, Commission is satisfied that Shri Chandan has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act; and
- (b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order;

[No.76/MP-LA/2018/WS-I]

MADHUSUDAN GUPTA, Secy.